...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...सख्या : 5/2012

1. धर्मकुमार पुत्र बृजमोहन मीणा निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. संतोष बाई पत्नि बृजमोहन मीणा निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

....अपीलांट

♠ बनाम ♠

1. प्रभुलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील आवंटन

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील अपीलान्टस : श्री दया कृष्ण धाकड
वकील रेस्पोडेन्टस : श्री रामस्वरूप नागर
निर्णय दिनांक : 26.03.2018
दायरा दिनांकः 13.06.2012

अपील से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवंटन खसरा नं0 1318 रकबा 0.50 है0 भूमि वाके माल भटवाडा तह0 मांगरोल की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की थी जिसका निर्णय दिनांक 09.02.2007 को हो चुका है। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल को पूनः जांच कर सुनवाई कर निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया था। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण की पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने का आदेश फरमावें।

इस प्रकार की अपील पेश होने पर दिनांक 13.06.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेंट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट कम 2 तहसीलदार मांगरोल ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट कमांक/भू0अभि0/2014/757 दिनांक 25.02.2014 में अंकन किया कि अपील आवंटन में रेकार्ड अनुसार जांच रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार ग्राम भटवाडा की गत आराजी खसरा नं0 1130 रकबा 4 बीघा के हाल खसरा नं0 1318 रकबा 0.50 है0 भूमि वर्तमान रेकार्ड अनुसार प्रभूलाल पुत्र गोपीलाल कोम मीणा सा0 भटवाडा के गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि की रेकार्ड अनुसार भूमि की किस्म गैर मुमकिन खड्डा दर्ज है। तथा आवंटन से पूर्व जमाबंदी सम्वत 2034–37 में गत खसरा नं0 1130 रकबा 12 बीघा किस्म गै0मु0 नाला दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान मौका रिपोर्ट उक्तानुसार है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर आद्योपन्त अवलोकन अध्ययन व मनन किया। अपीलान्ट ने आवंटन अपील में निवेदन किया कि ग्राम भटवाडा में आवंटन खसरा

रकबा 0.50 है0 भूमि की पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो ...न करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि अपीलान्ट से आवंटित भूमि ग्राम भटवाडा खसरा नं0 1318 रकबा 0.50 है0 किस्म गै0 मु0 नाला खड्डा दर्ज है जो कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत जिन पर किसी भी प्रकार के अधिकार प्रोधभूत नही होंगे, के तहत आती है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की रूलिंग " **अब्दुल रहमान बनाम सरकार** " के तहत भी उक्त आवंटित भूमि जो पूर्व के बन्दोबस्ती रेकार्ड के अनुसार मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2034–37 में गत खसरा नं0 1130 रकबा 12 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज था एवं मुताबिक नवीन बन्दोबस्त वर्तमान राजस्व रेकार्ड ग्राम भटवाडा के हाल खसरा नं0 1318 रकबा 0.50 है0 किस्म गैर मुमकिन खड्डा अंकित है, पूर्णतया प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जिसे किसी भी सूरत में खाते दर्ज नही की जा सकती है। अतः अपीलान्टस को आवंटित ग्राम भटवाडा में खसरा नं0 1318 रकबा 0.50 है0 किस्म गै0 मु0 नाला खड्डा का आवंटन खारिज किया जाता है एवं अपीलान्ट द्वारा यदि आवंटन राशी जमा करवाई गई हो तो नियमानुसार तहसील मांगरोल में कार्यवाही कर प्राप्त कर सकते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया